कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, छठा तल, जवाहर भवन, लखनऊ।

संख्या–एम0ई0–3/2014/**4390** लखनऊः दिनांक 30 दिसम्बर 2014

सी0पी0एम0टी0 2014 की काउंसिलिंग हेतु छात्रों द्वारा सिक्योरिटी धनराशि के रूप में जमा की गई धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना

सी0पी0एम0टी0 2014 की काउंसिलिग में प्रतिभाग करने वाले छात्रों द्वारा सिक्योरिटी धनराशि के रूप में रू0 5000/– (रूपए पॉच हजार मात्र) जमा किए गए हैं। छात्रों द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी धनराशि दिनांक 31 दिसम्बर 2014 तक सीधे उनके बैंक खातों में वापस की जानी है। **जिन छात्रों को कोई पाठ्यक्रम आवंटित नहीं हुआ है**, उनकी सिक्योरिटी धनराशि सम्बन्धित छात्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक विवरण के अनुसार उनके बैंक खातों में स्थानान्तरित किए जाने हेतु भारतीय स्टेट बैंक को दिशा–निर्देश प्रेषित किए जा चुके हैं, जिस पर बैंक द्वारा कार्यवाही सम्पन्न की जा रही है।

सी0पी0एम0टी0 2014 के माध्यम से **प्रवेशित छात्रों** की सिक्योरिटी धनराशि, जो दिनांक 31 दिसम्बर 2014 तक उनके बैंक खातों में वापस की जानी थी, की तिथि अपरिहार्य कारणों से बढाते हुए दिनांक 31 जनवरी 2015 तक निर्धारित की जाती है।

महानिदेशक